कार्यालय,
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका झारखंड
ISO 9001:2015 Certified
जिला नजारत शाखा, दुमका
अति अल्पकालीन निविदा

सचिव, राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, राँची के निदेशानुसार वर्ष 2018–19 के लिए आउटसोसिंग के माध्यम से ऐजेंसी चयन करते हुए समाहरणालय दुमका निबंधन कार्यालय, अपर समाहर्त्ता (राजस्व शाखा) कार्यालय, परिसदन, अभिलेखागार एवं जिला के सभी अंचल कार्यालय में अमीन, वाहन चालक, कम्प्युटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी को आवश्यकतानुसार कार्य पर रखा जाना है। उक्त कर्मी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा पर रखने हेतु ऐजेंसी का चयन एवं प्रतिदिन/मासिक मानदेय निर्धारण हेतु जिला नजारत शाखा, दुमका में दिनांक 24.09.2018 को अपराह्न 01:00 बजे तक दो लिफाफा प्रणाली के तहत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 24.09.2018 को अपराह्न 03:00 बजे उपायुक्त दुमका की अध्यक्षता में गठित जिला निविदा समिति की बैठक में खोली जायेगी। उपरोक्त सूचना तथा निविदा की शर्ते जिला नजारत शाखा, दुमका के सूचना पट एवं वेबसाईट http://www.dumka.nic.in पर देखी जा सकती है।

तकनीकी निविदा की शर्त्ते :–

1. फर्म / कम्पनी अधिनियम के तहत निबंधन प्रमाणपत्र।
2. GST निबंधन प्रमाणपत्र।
3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से निबंधन प्रमाणपत्र।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निबंधन प्रमाणपत्र।
5. श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र।
6. निविदा के साथ 50,000.00 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमानत की राशि, जो उपायुक्त, दुमका के पदनाम से A/C Payee होगा।
7. विगत तीन वर्षो का I.T.R (Income Tax Return)
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र।

वित्तीय निविदा की शर्त्ते :–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में कर्मचारियों को सेवा में रखने के एवज में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन/ प्रति माह मानदेय का दर विहित प्रपत्र में अंकित करेंगे, जो सभी कर सहित होगा।

प्रपत्र

कम	पद	मानदेय दर प्रतिदिन सभी कर एवं कटौति सहित	मानदेय दर प्रतिमाह सभी कर एवं कटौति सहित
1	अमीन		
2	कम्प्युटर आंपरेटर		
3	वाहन चालक		
4	सफाई कर्मी		

नजारत शाखा दुमका

निविदा की अन्य शर्त्ते–

1. सभी कर्मचारी, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पुरी करता हो।
2. सभी कर्मचारियों का न्युनतम वेतन झारखंड सरकार के श्रम विभाग के अधिसूचना के अनुसार न्युनतम मजदुरी से कम नही होना चाहिए, एवं भुगतान बैंक खाता के माध्यम से हो।
3. कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभुक हो।
4. कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभुक हो।
5. आवंटन के अभाव में चयनित कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को मजदुरी का भुगतान प्रत्येक माह करना पड़ेगा। आवंटन प्राप्त होने पर कम्पनी को भुगतान किया जाएगा। चयनित कंपनी द्वारा सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह अपने खाते से मजदुरी भुगतान प्रमाण पत्र देने के पश्चात विपत्र प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात कंपनी के विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

5. सभी निविदा द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जायेगी।
6. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
7. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वित्तीय बीड'' अंकित करेंगे जिसमें सभी कर्मचारियों को सेवा में रखने के एवज में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन/ प्रति माह मानदेय का दर अंकित करेंगे। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
8. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेंगे और उस पर साफ–साफ लिखेंगे '' आउट सोर्सिंग के माध्यम से ऐजेंसी चयन करने हेतु निविदा''। लिफाफे पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, दुमका, के नाम से मुहर बंद लिफाफा समाहरणालय भवन, दुमका के जिला नजारत शाखा, दुमका में जमा करेंगे।
9. पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और निविदादाताओं की उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।
10. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

उपायुक्त, दुमका।

ज्ञापांक 337/जि0न0 दुमका, दिनांक 12/9/18

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, दुमका को सूचनार्थ एवं बेबसाईट www.dumka.nic.in में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

जिला नजारत शाखा दुमका

उपायुक्त, दुमका।